

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

संख्या- /2-114/रा0यो0आ0/2015 देहरादून: दिनांक: जून, 2020

विज्ञप्ति

राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून में उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न राजकीय विभागों में लेखाकार वेतनमान लेवल-6 के पद पर कार्यरत कार्मिकों से 02 वर्ष की अवधि हेतु सेवा स्थानान्तरण के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
लेखाकार	लेवल-6 वेतनमान रू0 35400-112400	01 (एक)

विस्तृत विज्ञापन, निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप, अर्हतायें, शर्तें तथा निर्देश जो राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन की वेबसाइट spc.uk.gov.in से डाउन लोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 29-06-2020 निर्धारित है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त रिक्ति को बिना कारण बताये समाप्त करने का अधिकार विभागाध्यक्ष में निहित है।

(मेजर योगेन्द्र यादव)

अपर सचिव।

राज्य योजना आयोग में लेखाकार के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का पदनाम:-

(आवेदित पद का पदनाम मोटे अक्षरों में शीर्ष एवं लिफाफे के बाहर से लिखा होना चाहिए)।

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में).....
2. पिता का नाम:-.....
3. वर्तमान पता (बड़े अक्षरों में).....
4. स्थायी पता:-.....
5. राष्ट्रियता:-.....
6. जन्म तिथि:-.....
7. जाति की श्रेणी:-.....
8. वैवाहिक स्थिति:-.....
9. शैक्षिक योग्यता:-

फोटो स्वप्रमाणित

सभी परीक्षाओं की सूची (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित)

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	स्कूल/कालेज का नाम	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	विषय	श्रेणी जिसमें उत्तीर्ण किया/प्रतिशत
1						
2						
3						

10. अधिमानी योग्यता (यदि कोई हो):-.....
11. कम्प्यूटर का ज्ञान..... अवधि
12. विभाग/पद/अवधि:-

क्र० सं०	मूल विभाग का नाम तथा तैनाती का स्थान	पद नाम	कार्य की अवधि	वेतनमान व मूलवेतन
1				
2				

13. घोषणा:- इस आवेदन पत्र में जो भी बाते कही गयी हैं वह मेरे ज्ञान व विश्वास में सही है। अगर कभी कोई असत्य पाया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा और असत्य सूचना पाये जाने पर मुझे मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा।

स्थान:-

दिनांक:-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं नाम

अनापत्ति प्रमाण पत्र

14. प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....(पदनाम.....) विभाग का नाम..... के अधीन स्थायी/अस्थायी पद, वेतनमान.....में नियमित रूप से कार्यरत हैं। राज्य योजना आयोग में लेखाकार के पद हेतु इनके आवेदन के अग्रसारण में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक के लेखाकार पर चयन के उपरान्त..... (अभ्यर्थी का नाम) को शीघ्र कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

कार्यालयाध्यक्ष (सक्षम स्तर)/विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर पदनाम सील मोहर

अर्हतायें :-

लेखाकार/कोषाध्यक्ष:-

- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा शास्त्र के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
- (ख) कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- (ग) लेखाकार के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।
- (घ) अभ्यर्थी सातवें वेतनमान में लेवल-6 पर कार्यरत होना चाहिये।

शर्तें एवं निर्देश

1. सेवा स्थानान्तरण अवधि प्रथमतः दो वर्ष के लिए होगी, जो आवश्यकतानुसार घटायी एवं बढ़ायी जा सकती है।
2. कार्मिक को राज्य सरकार द्वारा देय समस्त भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 29-06-2020 तक राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) उत्तराखण्ड शासन, विश्वकर्मा भवन, चतुर्थ तल, 4 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून में पंजीकृत डाक से प्राप्त किये जायेंगे। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच (scrutiny) के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक को पृथक रूप से सूचित किया जायेगा।
5. आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ वर्तमान नियोक्ता (Employer) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा विभागीय अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, विभागीय कार्यवाही प्रचलन में न होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदनकर्ता को साक्षात्कार के समय अपनी शैक्षिक योग्यता, अधिमानी योग्यता तथा व्यावसायिक योग्यता व आयु का मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
7. राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को किसी भी अपूर्ण/ अस्पष्ट सूचनाओं की दशा में आवेदन पत्र को निरस्त करने तथा जाँच (scrutiny) करने पर अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसके लिए कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदक को चयन उपरान्त 20 दिन के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना होगा।
9. साक्षात्कार में बुलाये गये अभ्यर्थियों/आवेदकों को कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

अपर सचिव,
राज्य योजना आयोग।